प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 13.02.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा जीएसटी कर चोरी तथा धोखाधड़ी (जैसे फर्जी बिल, बिना चालान माल बेचने) के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद लैपटाप, 03 अदद मोबाइल, 4650 रु0 नकद, 10 अदद सिम कार्ड, 02 अदद मोहर, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 577/2025 धारा 318 (4),338/336(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01.संदीप कुमार पुत्र स्व0 मुकेश कुमार निवासी ए-203/204 गली नं0-03 हरित विहार बुराडी नार्थ दिल्ली 02.अमन उपाध्याय पुत्र छांगुर प्रसाद निवासी मकान नं0 125/124 नियर अपेक्स पब्लिक स्कूल गली नं0- 98/2 संतनगर बुराडी नार्थ दिल्ली को 02 अदद लैपटाप, 03 अदद मोबाइल, 4650 रु0 नकद, 10 अदद सिम कार्ड, 02 अदद मोहर, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड बरामद के साथ एसटीएफ यूनिट, नोएडा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 340(2),61(2) बीएनएस व 66 सी,66 डी आईटी एक्ट व धारा 132 जीएसटी एक्ट बढोत्तरी किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 03.07.2025 को वादी अरविन्द कुमार सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-1 संतकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर श्री यादव इंटरप्राइजेज के विरुद्ध बिना किसी वास्तविक इनवर्ड सप्लाई खरीद के फर्जी तरीके से मात्र इनवाईस के माध्यम से आउटवर्ड सप्लाई/बिक्री घोषित करते हुए बिना वास्तविक आउटवर्ड सप्लाई/बिक्री के माह मई 2025 में दाखिल जीएसटी रिटर्न में बोगस फर्जी आईटीसी रुपये 18,96,53,679 पास आन तथा जीएसटी आर -3 बी में बिना वास्तविक माल प्राप्त किए बोगस आईटीसी 18,96,80,190 क्लेम किया गया। इसी प्रकार अभियुक्तगण द्वारा फर्जी बोगस आईटीसी कुल 02 फर्मो जिसमें श्री अल्फा इंटरप्राइजेज, गुरुग्राम व सर्व श्री राधे इंटरप्राइजेज, दिल्ली के माध्यम से धोखाधड़ी, जालसाजी करते हुए सरकार को भारी राजस्व की छति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.संदीप कुमार पुत्र स्व0 मुकेश कुमार निवासी ए-203/204 गली नं0-03 हरित विहार बुराडी नार्थ दिल्ली।

02.अमन उपाध्याय पुत्र छांगुर प्रसाद निवासी मकान नं0 125/124 नियर अपेक्स पब्लिक स्कूल गली नं0- 98/2 संतनगर बुराडी नार्थ दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का विद्या सागर, का0 अजीत कुशवाहा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनों से 100,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनों से 100,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा जीएसटी कर चोरी तथा धोखाधड़ी (जैसे फर्जी बिल, बिना चालान माल बेचने) के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के संबंध में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा दी गई बाईट